



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट - कोतवाली फतेहगढ़

दिनांक - 08.10.2025

सर्विलांस/एसओजी/कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस टीम द्वारा सट्टे की खाईबाड़ी करने वाले 02 अभियुक्तों को 04 अदद मोबाइल व 32900/- रुपये नगद सहित किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय कुमार व क्षेत्राधिकारी नगर ऐश्वर्या उपाध्याय के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1.शिवमंगल पुत्र रामशंकर 2. कुलदीप पुत्र रामशंकर को सट्टे की खाईबाड़ी करते हुए गिरफ्तार तथा अभियुक्तगण के कब्जे से 09 सट्टा पर्ची, 01 अदद पेन, 03 अदद एंड्रायड मोबाइल व 01 अदद कीपैड मोबाइल व 32900/- रुपये नगद बरामद किये तथा बरामदगी के आधार पर कोतवाली फतेहगढ़ पर मु0अ0सं0-265/25 धारा-3/4 सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. शिवमंगल पुत्र रामशंकर निवासी मोहल्ला जाफरी कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।
2. कुलदीप पुत्र रामशंकर निवासी मोहल्ला जाफरी कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरण:- दिनांक 08.10.2025 को मुखविर की सूचना पर अभियुक्तगण शिवमंगल पुत्र रामशंकर 2. कुलदीप को अभियुक्त शिवमंगल उपरोक्त का किराये का मकान चौसरपुर रोड ग्राम याकूतगंज थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फर्रुखाबाद से सट्टे की अवैध खाईबाड़ी करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तगण के कब्जे से 09 सट्टा पर्ची, 01 अदद पेन, 03 अदद एंड्रायड मोबाइल व 01 अदद कीपैड मोबाइल व 32900/- रुपये नगद बरामद कर, बरामदगी के आधार पर कोतवाली फतेहगढ़ पर मु0अ0सं0-265/25 धारा-3/4 सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- पकड़े गये अभियुक्तगण द्वारा एक स्वर में बताया गया कि हम लोग सट्टे की खाईबाड़ी करते हैं। हम अपने मोबाइल फोन में लोगो को आनलाइन सट्टे के नम्बर भेजते हैं। वह लोग हमारे खाते में रुपये डालते हैं व हार जीत के अनुसार रुपये लेते व देते हैं। अन्य बयान अपने वकील के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष देना बताया गया।

बरामदगी का विवरण:-

1. 09 अदद सट्टा पर्ची
2. 01 अदद पेन,
3. 03 अदद एण्ड्रायड मोबाइल फोन व 01 अदद कीपैड मोबाइल फोन
4. अभियुक्त शिवमंगल के कब्जे से 21280/- रुपये नगद
5. अभियुक्त कुलदीप के कब्जे से 11620 रुपये नगद
6. अभियुक्त कुलदीप के खाते में 326153 रुपये फ्रीज कराये गये।

अभियुक्त शिवमंगल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 691/2017 धारा 13 जुआ अधिनियम कोतवाली फतेहगढ़।
2. मु0अ0सं0 265/2025 धारा 3/4 जुआ अधिनियम कोतवाली फतेहगढ़।

अभियुक्त कुलदीप उपरोक्त का आपराधिक इतिहास: -

1. अ0सं0 631/2015 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना कोतवाली फतेहगढ़।
2. अ0सं0 633/2015 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट कोतवाली फतेहगढ़।
3. अ0सं0 145/2020 धारा 13 जुआ अधिनियम कोतवाली फतेहगढ़।
4. मु0अ0सं0 265/2025 धारा 3/4 जुआ अधिनियम कोतवाली फतेहगढ़।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली पुलिस टीम:-

1. सुश्री ऐश्वर्या उपाध्याय क्षेत्राधिकारी नगर जनपद फतेहगढ़
2. उ०नि० श्री राहुल कुमार कोतवाली फतेहगढ़
3. उ०नि० श्री अखिलेश कुमार कोतवाली फतेहगढ़
4. का० राहुल कुमार कोतवाली फतेहगढ़
5. का० राजकुमार कोतवाली फतेहगढ़
6. का० कुलदीप कुमार हमराह क्षेत्राधिकारी नगर
7. एसओजी प्रभारी उ०नि० श्री सचिन चौधरी मय टीम
8. सर्विलांस प्रभारी उ०नि० श्री संतकुमार मय टीम

मीडिया सेल फतेहगढ़।



फतेहगढ़ पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना मऊदरवाजा

दि0-08.10.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1.बलवीर उर्फ ललैया पुत्र मुन्नालाल 2.जगदीश पुत्र रामसिंह निवासीगण आवाजपुर थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ मु०अ०स० 105/1998 वाद संख्या 43/1999 धारा 3(1) उ० प्र० गैंगेस्टर थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्नर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **दिनांक 08.10.2025 को मा० न्यायालय स्पेशल गैंगेस्टर एक्ट कोर्ट फरूखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को 06-06 वर्ष का कठोर कारावास व 10-10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**



एडीजीसी- श्री शैलेश कुमार



को० मो० हे०का० राजेश कुमार



पैरोकार का० नितिन



मिशन शक्ति 5.0



कोतवाली फतेहगढ़



मिशन शक्ति 5.0



Farrukhabad, Uttar Pradesh, India
Farrukhabad Chilsara Road,
Farrukhabad, Farrukhabad, Uttar Pradesh 203625, India

थाना - मऊदरवाजा





मिशन शक्ति 5.0



कोतवाली - मोहम्मदाबाद





मिशन शक्ति 5.0



कोतवाली फर्रुखाबाद



मिशन शक्ति 5.0 कायमगंज



vivo T2x
Oct 8, 2025, 14:12







यातायात पुलिस

OPPO F19
Camera



फतेहगढ़ पुलिस



दैनिक न्यूज भास्कर

मिशन शक्ति के तहत विद्यालय में चलाया गया विशेष अभियान, छात्राओं को किया जागरूक

दैनिक न्यूज फतेहगढ़।

महिला सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत मंगलवार को जिले में कई स्थानों पर महिलाओं व युवतियों को जागरूक किया जा रहा है। कोतवाली मोहम्मदाबाद के गांव मौधा स्थित शक्ति सैनिक इंटर कॉलेज में महिला सुरक्षा को लेकर विशेष दल के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें विद्यालय की छात्राओं, अध्यापिकाओं और स्थानीय



महिलाओं को सुरक्षा संबंधी जानकारी दी गई। विशेष दल ने महिला हेल्पलाइन 1090, आपातकालीन पुलिस सेवा 112, महिला सहायता 181, बाल हेल्पलाइन 1098, जैसे जरूरी नंबरों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके अलावा सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में भी जानकारी साझा की। इसी क्रम में महिला थाना फतेहगढ़ की टीम ने मोहम्मदाबाद ब्लॉक में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और महिलाओं के बीच जागरूकता कार्यक्रम किया। वहां उपस्थित महिलाओं को बताया गया कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में हेल्पलाइन नंबरों का प्रयोग करके तुरंत सहायता प्राप्त कर सकती हैं। अधिकारियों ने महिलाओं को प्रेरित किया। कि महिलाएं न केवल स्वयं सतर्क रहें बल्कि आस-पास की महिलाओं व बालिकाओं को भी जागरूक करें। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें सुरक्षा संसाधनों से जोड़ना और सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना है। इस मौके पर महिला सुरक्षा विशेष दल की टीम ने उपस्थित जनसमुह को आश्वासित किया कि पुलिस हमेशा हर समय उनकी सुरक्षा व सहयोग के लिए तत्पर है।

मीडिया सेल फतेहगढ़



@fatehgarhpolice



@fatehgarhpolice

Contact no- 7839856742